कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रूखाबाद

पत्रांक २१२ / 14–1, दिनांकः फर्रूखाबाद, जुलाई २३/ 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल,
कानपुर

विषय– जनपद फर्रूखाबाद–फतेहगढ़–गुरसहायगंज रोड (एस0एच0–29ए) किमी0 नं0 9 (चैनेज 8.053) बांयी पटरी पर खसरा सं0–634 मि0 ग्राम–भूलनपुर चिरपुरा, परगना–भोजपुर, तहसील–सदर, जिला–फर्रूखाबाद पर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्बन्ध में।

संदर्भ– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–63/11–सी–FP/UP/OTHERS/32858 दिनांक 09.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रस्ताव में लगायी गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव की चार प्रतियों आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

क्र0सं0	आपत्ति	आख्या
1	2	3
1	वन अधिकार अधिनियम–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है। किन्तु प्रमाण पत्र में **Linear** अंकित था, सफेदा लगाकर **Non Linear** अंकित किया गया है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कराकर जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	अधोहस्ताक्षरी द्वारा **Non linear** को सत्यापित कर दिया गया है, जिसे ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
2	ऑनलाइन भाग–2 में पुनः 922 पेड़ अपलोड किये है, किन्तु संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 05 वृक्ष बाधक बताये गये हैं किन्तु ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड किये गये वृक्षों की संख्या से स्पष्ट लग रहा है कि वृक्षों की गोलाई दिखाई पड़ रही है, अतः अन्तर को स्पष्ट करते हुये वास्तविक वृक्षों की संख्या एवं बाधक वृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	प्रस्तावित स्थल पर 05 वृक्ष बाधक है जिनको ऑनलाइन भाग–2 में पूर्व में अपलोड किया जा चुका है। साक्ष्यबतौर ऑनलाइन भाग–2 के प्रिंटआउट की प्रति साथ में संलग्न है। ऑनलाइन भाग–2 में 922 पेड़ पूर्व में इस कार्यालय से अपलोड नहीं किये गये है। इसलिए बाधक वृक्षों की संख्या में कोई अन्तर नहीं है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फर्रूखाबाद

पत्रांक /अ, समदिनांकितः–

प्रतिलिपि–उप महाप्रबन्धक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फर्रूखाबाद